

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियाँ
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग	4036.00 (2)	2531.00 (2)	1505.00	4036.00 (2)
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	17469.94 (17)	17252.92 (17)	217.02	713.32 (1)	16756.62 (16)	67.63	68.95	...
	राजस्व विभाग	800.00 (1)	...	800.00 (1)	800.00 (1)	8.00
	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक, वितरण मंत्रालय	54495.00 (2)	54495.00 (2)	54495.00 (2)
	उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	365.00 (3)	365.00 (3)	112.00	...	253.00 (3)	15.97	2.53	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	269.00 (1)	269.00 (1)	...	7.00	262.00 (1)	75.56
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2.55 (1)	2.55 (1)	...	2.55 (1)
	भेषज विभाग	1102.56 (9)	1067.19 (9)	35.37	1102.56 (9)	77.95
जोड़		78540.05 (36)	75982.66 (35)	2557.39 (1)	722.87 (2)	112.00	...	77705.18 (34)	245.11	71.48	...
2. शेयर पूँजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	250.00 (2)	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	13074.52 (15)	13074.52 (15)	...	74.52 (13)	13000.00 (2)
	रेल मंत्रालय	0.07 (2)	0.07 (2)	...	0.02 (1)	0.05 (1)
	संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग	7513.97 (4)	7513.97 (4)	7513.97 (4)	75.59	105.39	...
जोड़	27838.56 (25)	27838.56 (25)	...	74.54 (14)	27764.02 (11)	148.09	175.39	...	
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियां हेतु किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि को प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	40452.70 (31)	36300.30 (28)	4152.40 (3)	40452.70 (31)	1036.05	117.15	...
	कोयला मंत्रालय	692.40 (3)	692.40 (3)	...	69.10	623.30 (3)	6.24	6.24	...
	विद्युत मंत्रालय	33604.22 (37)	31406.78 (36)	2197.44 (1)	2416.52 (2)	31187.70 (35)	364.25	364.25	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	154015.50 (178)	135637.93 (164)	18377.57 (14)	4762.30 (4)	149253.20 (174)	177.54	174.94	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	58.75 (3)	58.37 (3)	0.38	7.00	51.75 (3)	0.32	0.24	...
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	703.66 (1)	670.80 (1)	32.86	48.15	655.51 (1)	1.76	1.76	...
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	7302.77 (11)	5019.71 (11)	2283.06	284.28	7018.49 (11)	60.29	60.29	...
	इस्पात मंत्रालय	418.68 (2)	418.68 (2)	...	55.34	363.34 (2)	1.03	1.03	...
	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	489.14 (2)	485.07 (2)	4.07	66.52	422.62 (2)	3.83	3.83	...
	वाणिज्य विभाग	1.73 (1)	1.73 (1)	...	0.90	0.83 (1)	0.05
शहरी विकास मंत्रालय	797.13 (2)	539.75 (2)	257.38	7.19	789.94 (2)	6.52	6.52	...	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेश मंत्रालय	33270.51 (6)	28187.76 (5)	5082.75 (1)	3370.39	29900.12 (6)
	जोड़	271807.19 (277)	239419.28 (258)	32387.91 (19)	11087.69 (6)	260719.50 (271)	1657.88	736.25	...
4.	इस्पात मंत्रालय	518.36 (8)	518.36 (8)	...	518.36 (8)
	कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।										
	जोड़	518.36 (8)	518.36 (8)	...	518.36 (8)
5.	कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाले देयों/भाड़ा प्रभारों का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।
6.	विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।
7.	विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।
8.	अन्य
	कुल जोड़	378704.16 (346)	343758.86 (326)	34945.30 (20)	12403.46 (30)	112.00	...	366188.70 (316)	2051.08	983.12	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- दिनांक 31.3.2016 को अंतिम शेष और 1.4.2016 को आरंभिक शेष जैसा ऊपर सूचित किया गया है, ₹3.30 करोड़ है, जो रिकार्डों में मिलान के कारण है।
- वर्ष 2016-2017 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 22,429.84 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6- कॉलम 7) है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹34945.30 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2016-2017 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.23 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए (17 जनवरी, 2018 तक) ₹ 31,190.22 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2017-18 में चालू मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.19% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।